कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2482/OFC–BSNL(बरेली/रामपुर)/23650/2017, दिनांक, लखनऊ, मार्च 28, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषयः भारत संचार निगम लि0 द्वारा आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु बरेली में 1.08 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं रामपुर में 0.87 हे0 **कुल 1.95 हे0 संरक्षित वनभूमि** का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक–1551/OFC–BSNL(बरेली/रामपुर)/23650/2017, दि0 08.12.2017
आपका पत्रांक–3153/14–1, दिनांक 12.03.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्रकरण में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रभागीय निदेशक, बरेली का क्षेत्रफल सर्वाधिक होने के कारण उन्हें नोडल अधिकारी नामित किया गया था। आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त समेकित प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि आपके स्तर से प्रस्ताव को बिना परीक्षण/समीक्षा किये उच्च स्तर को अग्रसारित कर दिया गया है, फलस्वरूप प्रस्ताव में अनेकों अभिलेख दो प्रतियों में लगायें गये हैं, अनेकों अभिलेख संलग्न ही नहीं किये गये हैं। समेकित प्रस्ताव में दोनों प्रभागों के एक प्रकार के अभिलेख एक ही स्थान पर लगाना चाहिए था। उक्त के अभाव में अपूर्ण प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः निम्न बिन्दुओं की सूचनायें पूर्ण करने का कष्ट करें :–

1– सर्वे आफ इंडिया के 1:50000 स्केल के मूल टोपोशीट पर प्रभागवार टाइटिल शीर्षक, प्रस्तावित वनभूमि एवं लीजेण्ड अंकित कर संलग्न नहीं किया गया है। संशोधित टोपोशीट ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

2– प्रस्ताव के साथ अनेकों अभिलेख यथा–परियोजना की स्वीकृति, मानक शर्तो का प्रमाण–पत्र, प्रस्तावित स्थल के डिजिटल मैप की प्रति, प्रस्तावक की पावर आफ अटानी, ऑनलाइन पार्ट–1 की प्रति, ऑफलाइन पार्ट–4 व 5 की प्रति, जस्टीफिकेशन नोट की प्रति, एन0एच0ए0आई0 की अनापत्ति आदि अभिलेख दो प्रति में संलग्न किये गये हैं, जो औचित्यपूर्ण नहीं हैं। ऐसे अभिलेख एक प्रति में संलग्न करें। जिन अभिलेखों में सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है, उन अभिलेखों में दोनों प्रभागीय निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय।

3– ज्ञातव्य हों कि मैदानी क्षेत्रों में 20 हे0 से अधिक प्रभावित होने वाले प्रस्तावों में लागत–लाभ विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अतः पृष्ठ–138 व 139 पर संलग्न अभिलेखों को प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करें।

4– रामपुर में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि पर रोपण, 10 वर्षो के अनुरक्षण व अनुमानित बृद्धि सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें तथा ऑनलाईन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण अपलोड करें।

5– बरेली में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है, संशोधित उपयुक्तता प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

6– उक्तानुसार रामपुर में भी क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन अपलोड कर, प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

7— रामपुर में क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक, रामपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता ऑनलाइन अपलोड कर, प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने का कष्ट करें।

8— ज्ञातव्य हों कि भारत सरकार के पत्र दि0 05.02.2009 में दिये गये निर्देशानुसार विशिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त ओ0एफ0सी0 के प्रकरणों में एन0पी0वी0 से छूट प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करना औचित्यहीन है। प्रस्ताव के पृष्ठ—52 व 53 पर संलग्न गणना को पृथक कराने का कष्ट करें।

9— बरेली के ऑनलाईन पार्ट—2 के बिन्दु—7 की अंकित सूचना त्रुटिपूर्ण है।

10— ऑनलाईन पार्ट—1 पर क्षतिपूरक वनीकरण की वचनबद्धता अपलोड नहीं है।

11— बरेली के ऑनलाईन पार्ट—2 के Additional Information Details में अपलोड अभिलेखों की भाँति रामपुर के ऑनलाईन पार्ट—2 के Additional Information Details में भी अभिलेखों को अपलोड कराने का कष्ट करें।

12— दोनों प्रभागों के ऑनलाईन पार्ट—2 के बिन्दु—14 पर अद्यावधिक स्थिति अपलोड कराने का कष्ट करें।

13— प्रस्ताव के साथ आफलाईन पार्ट—1 व 2 की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करें।

14— प्रस्ताव के पृष्ठ—135 पर संलग्न अभिलेख औचित्यपूर्ण नहीं है, इसे प्रस्ताव से पृथक कराने का कष्ट करें।

15— वन संरक्षक, बरेली के सन्दर्भित पत्र में अंकित दोनों प्रभागों की प्रभावित वनभूमि एवं उसका योग प्रस्ताव से मेल नहीं खाता है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।

16— उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या व तद्नुसार विषयसूची को अपडेट कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्रांक— / ,उक्तदिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिख्ति को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अपने से सम्बन्धित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव नामित नोडल अधिकारी व वन संरक्षक, बरेली के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :—

1— वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

2— प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर एवं बरेली को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3— मण्डलीय अभियन्ता, दूरसंचार परियोजना (बी0एस0एन0एल0) मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

OFC